A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
158 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	19.09.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

कजोडी, रोडी, पुत्रिया नहनू जाति माली निवासी ग्राम, भवानीपुरा, तहसील, हिण्डोली जिला बून्दी। – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 11.12.1978 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभि.।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीयान के पिता नहनू आ. सेवा जाति माली निवासी भवानीपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 1330 / 93 रकबा 08 बीघा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता नहनू आ. सेवा को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 1330 / 93 रकबा 08 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 11.12.1978 को आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण ने कभी भी भूमि का बेचान नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण महिलायें है जो कमजोर तबके की है।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद पुत्रियां ससुराल चली गई और आघोली पर विवादित भूमि पर काश्त करवाने लग गई। प्रभू लाल व बिरधी लाल ने पटवारी से मिलीभगत करके यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया है। प्रभूलाल व बिरधीलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रभू लाल व बिरधीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। आवंटन वर्ष 1978 को किया गया है जिसको लगभग 40 वर्ष हो चुके है। 40 वर्ष बाद यह कार्यवाही पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। इतने वर्ष बाद आवंटी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो वह कब्जा वैधानिक नहीं है। खसरा गिरदावरी के अनुसार आवंटी व आवंटी के वारिसान का ही कब्जा काश्त है अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी द्वारा झूठी व मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है। रेकार्ड के अनुसार अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी नहनू की मृत्यु के बाद उसके वारिसान कजोडी, रोडी के नाम नामा. हो चुका है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2014 पेज 740, आर.आर.डी. 2002 पेज 01, आर.आर.डी. 2001 पेज 126, आर.आर.डी. 1999 पेज 128, आर.आर.डी. 2001 पेज 206, आर.आर.डी. 2003 पेज 237, आर.आर.डी. 1996 पेज 500, आर.आर.डी. 2007 पेज 161, आर.आर.डी. 1995 पेज 234 की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण कजोडी, रोडी के पिता नहनू आ. सेवा माली को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 93 रकबा 08 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 11.12.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया था। आवंटी आवंटन से पूर्व ही ट्रेसफासर था। आवंटन के पश्चात आवंटी को तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी दी गई है जो आवंटी को कब्जा देने के पश्चात ही दी जाती है। आवंटन वर्ष 1978 का है। जिसको करीब 41 वर्ष हो चुके है। आवंटी स्वतः ही 10 वर्ष पश्चात खातेदार कृषक घोषित हो जाता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। जिससे अन्य व्यक्तियो का कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटी की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान कजोडी, रोडी पुत्री के नाम नामा. दर्ज किया गया है। अन्य व्यक्ति जिनका कब्जा काश्त होना प्रार्थी ने अंकित किया गया है उनको पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटन के समय आवंटी अतिक्रमी था तथा आवंटन दिनांक 11.12.1978 को करीब 41 वर्ष बाद 14(4) की कार्यवाही पेश किया जाना संदेह से परे नहीं है। अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

आवंटन किया गया है। तहसीलदार, द्वारा गैरखातेदारी दर्ज किया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष प्रमाणित नहीं होता है, यदि आवंटन भूमि पर अन्य का कोई कब्जा काश्त है तो उसकी हैसियत मात्र आवंटी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण की है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 11.12.1978 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)